

महोदय,

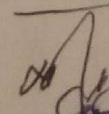
कार्यालय अधिशाही अभियन्ता पी० एम० जी०
एल० काई० सि० ख० केव्वर गढवाल के पत्रांक ६०
1771/दिनांक 12/9/2016 एवं कीमान तहसील (महोदय)
आदेश के परिपालन में प्रधान मेत्री लड़क चौक
के अन्तर्गत नौगांव कुवाड़ी मोटर मार्ग निर्माण हेतु
शालिग्राम स्थल पर 9.72 हेक्टेयर भूमि वास्तव में
स्थलीय एवम् अभिलेखों अनुसार की गई, जोच
से विदित है कि ग्राम कुवाड़ी में शालिग्राम
स्थल हेतु जगह उपलब्ध नहीं है, जिस कारण
उस के स्थान पर ग्राम में लुट्टा पड़ी वल्ला
उपस्थित तहसील अभियन्ता में NON 2A भूमि
के खतौकी समता को 5 मछरें स्थल को 635
मछरें 9.72 हेक्टेयर भूमि जो कि कोणी 9(3) डो
अन्य स्थली योग्य वंजरा भूमि प्रत्यक्ष कालिग्राम
वृक्षारोपण में उपयुक्त दिखित उत्तराखण्ड की
भूमि चयन की गई है

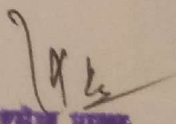
अतः कालिग्राम वृक्षारोपण हेतु रिपोर्ट
सेवा में लिखित है

सेल में आगवात

(1) NON 2A खतौकी नमूना - 1 का

अगुलात ।


तहसीलदार
यमकेश्वर (गढ़वाल)


यमकेश्वर
यमकेश्वर विरीसने
तहसील
गढ़वाल

3801 MON 2.7 admit off adm

ग्राम - भेलुङ्गा पट्टी - तल्ला इदरपुर II तहसील - रामेछाप जिला - पौडी गविसा

क्र.सं.	खेती की खेती	खेतीदा या कृषिज का नाम पितृ या पति निवासे स्थान	खेती नं०	योगफल	लोक	अन्य विवरण
1	5	खेती 5 (2) 50 बंजर	635	10.337	पलवाडी	अन्य खेती क्षेत्र बंजर भूमि -

नोट :- रजिस्ट्रार को 635 के मर्चा 9.12 हेमचर भूमि प्रत्यक्षित क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण में उपलब्ध सिविक उत्तरदायक की भूमि वन विभाग को इत्यान्तरता हेतु, नबल रखा की गई है।

तहसीलदार
यमकेश्वर (गढ़वाल)

[Handwritten signature]

ग्राम डामडी नदी

सकल सुधार आयोग द्वारा
संव १९५६ ई. ४
कृषि संवत् १९९३

ग्राम वैरागमा

ग्राम वैरागमा

ग्राम कुकुर

तहसीलदार
समकेश्वर (गिड़वाल)